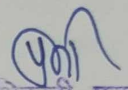


तारीख
हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

14/6/22

पत्रावली काठ पेरा हुई। चकील छापी
उपस्थित। चकील छापी के बहक सुनी
गई। मीरेस मल्ल के लिखला जाकर
सुले न्यायालय सुकाला गला। मीरेस
भी पालनाई तद्वीर जायी हो। पत्रावली
में पालना जात होवे पर शकिल सीजोकी
पत्रावली विनिय सुकर होकर दारिल
दपतर हो।


उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 21/2021

प्रार्थीगण :-

1. लेहरोदेवी पत्नी ईशराराम
कौम जाट निवासी गादेवी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. आईदानराम पुत्र सोनाराम
2. फूवाराम पुत्र सोनाराम
3. राणाराम गोदपुत्र डूंगराराम
4. मोड़ूराम पुत्र हडमताराम
5. देवाराम पुत्र हडमताराम
6. गणपतसिंह पुत्र हडमताराम
7. रणछोडराम पुत्र प्रभुराम
8. अचलाराम पुत्र प्रभुराम
कौम पुरोहित साकिन गादेश्वरी तहसील गुड़ामालानी
9. मालाराम पुत्र हरजीराम
10. दुर्गाराम पुत्र पूनमाराम
11. भलाराम पुत्र पूनमाराम
12. तेजाराम पुत्र पूनमाराम
13. प्रभुराम पुत्र पूनमाराम
14. भेराराम पुत्र पूनमाराम
15. धर्मीदेवी पत्नी पूनमाराम
16. चूनाराम पुत्र हरखाराम
17. तगाराम पुत्र हरखाराम
18. सूजाराम पुत्र सिरदाराराम
कौम जाट साकिन गादेवी तहसील गुड़ामालानी
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

—:: आदेश ::—

दिनांक :- 14/06/22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरुद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2076-2079 (2078) से स्थायी सरहद मौजा गादेश्वरी पटवार हल्का बांटा के खेत खसरा नम्बर 196 रकबा 3.8040 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ोसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम